

कृषि विभाग

संविदा के आधार पर कृषि समन्वयक का नियोजन पत्र

नियोजन पत्र सं०...1548

दिनांक : 7.10.2013

कृषि विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायत स्तर पर तकनीकी सहयोग करने हेतु कृषि समन्वयक चयन समिति, जहानाबाद के द्वारा प्रकाशित आदर्श रोस्टर के अनुसार अंतिम नियोजन सूची के अनुरूप नियोजन पत्र निर्गत किया गया, जिसमें सामान्य वर्ग के दो पद रिक्त रह गये। निदेशानुसार मेधा सूची वरीयताक्रम से निम्नांकित दो अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र निर्गत किया जाता है।

क्र०	नाम/पिता	मेधा सूची का क्रमांक	जाति वर्ग
1	श्री अनील कुमार, पिता - स्व. रामनरेश शर्मा, ग्राम - वीरूपुर, पो० - घोषी, प्रखण्ड - घोषी, जिला - जहानाबाद	27	सामान्य
2	श्री शंभु शरण सिंह, पिता - श्री कमलदेव सिंह, ग्राम - फतेहपुर, पो० - राधोपुर, जिला - वैशाली	28	सामान्य

यह नियोजन कृषि समन्वयक के पद पर निम्नांकित शर्तों पर किया जा रहा है, यदि मान्य होतो अपनी सहमति पत्र प्राप्त होते ही दो दिनों के अन्दर तक जिला कृषि कार्यालय, जहानाबाद में देना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप इस पद के लिए इच्छुक नहीं हैं।

आवश्यक शर्तें :-

1. कृषि समन्वयक सम्बर्ग में स्थायी/नियमितिकरण के पत्र नहीं होंगे।
2. नियोजन के फलस्वरूप आवेदन का सरकारी सेवा का दावा मान्य नहीं होगा।
3. कृषि समन्वयक को 15000.00 (पन्द्रह हजार रूपया) प्रतिमाह के दर से नियत मानेदय देय होगा। उक्त राशि के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता/परिलब्धि देय नहीं होगा।
4. कृषि समन्वयक को अधिकतम 11 (ग्यारह) माह के लिये नियोजित किया गया है। उनके कार्यकलाप असंतोषजनक पाये जाने पर उन्हें कमी भी हटाया जा सकेगा, तथा कार्यकलाप संतोषजनक पाये जाने पर कार्यअवधि विस्तार किया जा सकेगा। यदि संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व उनका विस्तार नहीं होता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

जिला कृषि पदाधिकारी - सह-
सदस्य सचिव,

कृषि समन्वयक चयन समिति, जहानाबाद।